



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 85-2025/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MAY 12, 2025 (VAISAKHA 22, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 12 मई, 2025

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के अधीन सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग की निम्नलिखित सेवाएं, समय सीमा, जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी हैं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग	परियोजना क्षेत्र में पुलों और पुलियों के निर्माण की अनुमति	60 दिन	सम्बन्धित इकाई के मुख्य अभियन्ता	महा प्रबंधक, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग	सम्बन्धित इकाई के प्रमुख अभियन्ता

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)****Notification**

The 12th May, 2025

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby notifies the following services, the time limit within which these are to be provided to citizens, the Designated Officers, First Grievances Redressal Authority and Second Grievances Redressal Authority of Irrigation and Water Resources Department under the said Act as specified in the Schedule given below, namely :-

Schedule

Serial Number	Name of the Department	Name of Service	Time limit	Designated Officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
1	Irrigation and Water Resources Department	Permission for construction of Bridges and Culverts in Project Area.	60 Days	Chief Engineer of concerned unit	General Manager, Irrigation and Water Resources Department	Engineer-in-Chief of concerned unit

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.